न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 32/10

1. रमेश कुमार पुत्र शिव नारायण जाति ब्राह्मण निवासी हीरापुर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. सुरेश कुमार पुत्र शिवनारायण जाति ब्राह्मण निवासी हीरापुर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. दिनेश कुमार पुत्र बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी हीरापुर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी
2. शिवप्रसाद (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. प्रेमलता पुत्री स्व0 शिवप्रसाद पत्नी अशोक मेहता निवासी बी–196 –ए, हरिमार्ग, मालवीय नगर, जयपुर ।
   2/2. गायत्री पुत्री स्व0 शिवप्रसाद पत्नी हेमेन्द्र शर्मा निवासी बी–4, सत्येन्द्र कॉलोनी, लक्ष्मीनगर, चार नम्बर डिस्पेंसरी के सामने, जयपुर ।
   2/3. मोहित अवयस्क पुत्र जरिये वली माता मोहिनी ।
   2/4. तुलसी अवयस्क पुत्री जरिये वली माता मोहिनी ।
   2/5. श्रीमती मोहिनी दूसरी पत्नी स्व0 शिवप्रसाद निवासीगण ग्राम सिंरोज तहसील सिंरोज जिला विदिश (म0 प्रे0) ।
3. टीकाराम दत्तक पुत्र स्व0 शिवप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी हसनपुरा हटवाडा रोड, जयपुर।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री सूरज सिंह यादव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।
3. श्री रामकल्याण शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम 2/1 से 2/5 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 14.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.10.2006 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद विभाजन एवं अधिकार घोषणा का पेश कर कथन किया कि ग्राम हीरापुर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में खसरा नम्बर 41 रकबा 1.98 हैक्टर, खसरा नम्बर 201 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 202 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 258/418 रकबा 0.02 हैक्टर कुल 04 किता रकबा 2.95 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है । शिवनारायण की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण में गलत रूप से तीन पुत्रों का नाम इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में हो रहा है जबकि वास्तविकता यह है कि टीकाराम, शिवप्रसाद जी का दत्तक पुत्र है । वादपत्र में अंकित भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमियों का विभाजन पूर्व में वादीगण के पिता की मौजूदगी में ही हो गया था जिसमें वादपत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 41 रकबा 1.98 हैक्टर एवं अन्य भूमियों के साथ वादीगण के पिता स्व0 शिवनारायण जी को प्राप्त हुई जिस पर शिवनारायण जी काबिज काश्त थे और उनकी मृत्यु के बाद वादीगण काबिज काश्त हैं । उक्त भूमि वर्तमान में टीकाराम में खाते में गलत रूप से दर्ज है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे अपने कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 41 पर पारिवारिक समझौते के आधार पर अपने खाते दर्ज करवाकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करावे ।

3. अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 41 रकबा 1.98 हैक्टर ग्राम हीरापुरा से प्रतिवादी क्रम 3 टीकराम का नाम गोद चले जाने से विलोपित किया जाकर वादीगण के खाते दर्ज किये जाने की घोषणा की जावे व पारिवारिक समझौते के अनुरूप पृथक से खाते दर्ज की जावे शेष भूमि शामलाती खाते में ही रखी जावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.10.2006 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.10.2006 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं0 03 का निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं0 03 पर कोई साक्ष्य नहीं ली जबकि बिना साक्ष्य लिये तनकी नं0 03 का निर्णय नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त भूमि कानून एवं साक्ष्य का सम्मिलित प्रश्न है । वादीगण का वाद कृषि भूमि के विभाजन व अधिकार घोषणा का है जिसका श्रवणाधिकार अधीनस्थ न्यायालय को ही है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.10.2006 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके अभिभाषक ने प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होने के लिए मना किया हुआ था और आवश्यकता होने पर सूचित करने के लिए कहा था परन्तु उनके अभिभाषक द्वारा अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19.03.2010 को अपने अभिभाषक से मिलने पर हुई । जिस पर अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई

है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

9. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में शिव प्रसाद के प्रतिज्ञा पत्र की फोटो प्रति, सिविल न्यायालय में शिव प्रसाद के द्वारा महेश कुमार के विरूद्ध पेश किये गये दावे एवं बयान डॉ0 शिवप्रसाद एवं टीकाराम शर्मा की फोटो प्रति पेश की गई हैं । पेश किये गये दस्तावेजात प्रमाणित प्रतियॉ नहीं हैं । अपील की स्टेज पर प्रतिज्ञा पत्र को साक्ष्य से प्रमाणित करवाया जाना और रेस्पोडेन्ट को जिरह का अवसर प्रदान किया जाना संभव नहीं है । इसके अलावा अन्य दस्तावेजात भी प्रमाणित नहीं है जिन्हें रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 खारिज किया जाता है ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट ने विभाजन एवं हक घोषणा का पेश किया था जिसमें जवाबदावा पेश होने के उपरान्त तनकीयात कायम की गई तत्पश्चात् तनकी नं0 03 का निष्कर्ष निकालते हुए दावा वादी खारिज किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 03 के बाबत् कोई साक्ष्य नहीं ली । बिना साक्ष्य लिये तनकी नम्बर 03 का निर्णय पारित नहीं किया जा सकता । वादीगण का दावा कृषि भूमि के विभाजन एवं हक घोषणा का था जिसका श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को ही है । कृषि भूमि में किसी भी व्यक्ति को किसी रूप में पारिवारिक विभाजन से कितना अधिकार मिलता है इसका निर्धारण राजस्व न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है । कानूनन अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय, निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है । न तो पक्षकारान के तर्को का विवेचन किया गया है और न ही निर्णय का आधार अंकित किया गया है । शिव प्रसाद ने एक दावा इंकलाय का सिविल न्यायालय में पेश किया था जिसमें टीकाराम को गोदपुत्र बताते हुए उनकी वकालत के लिए परिसर की आवश्यकता बताई है । टीकाराम ने भी दत्तक पुत्र की हैसियत से बयान दिये हैं । दावा विभाजन का है जिसका निर्णय राजस्व न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.10.2006 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रामचन्द्र के खाते की थी जिनके 03 पुत्र हुए शिवनारायण, बद्रीलाल, शिव प्रसाद । शिवनारायण के 03 पुत्र हुए रमेश कुमार, सुरेश कुमार एवं टीकाराम । शिवप्रसाद ने टीकाराम को गोद नहीं लिया है । शिव प्रसाद ने जो जवाबदावा पेश किया है उसमें टीकाराम के गोद लेने के तथ्यों को अस्वीकार किया है । पक्षकारान के मध्य पारिवारिक समझौते से विभाजन हो चुका है इसलिए दावा वादी मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है । कान्ट्रेक्ट से सम्बन्धित मामलों में सिविल न्यायालय को ही अधिकार प्राप्त है । अधीनस्थ न्यायालय में जो दावा पेश हुआ है वह इकरारनामे की पालना से सम्बन्धित है। गोदपुत्र का प्रश्न भी राजस्व न्यायालय तय नहीं कर सकता । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन

होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.10.2006 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1969 पेज 893 उद्धरत की ।

12. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की थीं जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पृष्ठ संख्या 08 पर संलग्न है । दिनांक 02.10.2006 की आदेशिका के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 3 की बहस सुनकर पारिवारिक समझौते की पालना तथा गोदनामा सम्बन्धी बात को तय करने का अधिकार न्यायालय का नहीं मानते हुए दावा खारिज करना अंकित किया है और दिनांक 22.03.2010 को लगभग साढे तीन वर्ष के पश्चात् दावा खारिज करने की डिक्री जारी की है जबकि निर्णय में उन्होंने न तो पेश किये गये दस्तावेजात एवं उभयपक्षीय बहस की विवेचना की है और न ही निर्णय का आधार अंकित किया है । अधीनस्थ न्यायालय का यह निर्णय, निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पक्षकारों की साक्ष्य भी नहीं ली गई है जबकि तनकी नम्बर 03 के अनुसार दावे की मेन्टेनेबिलिटी का प्रश्न Mixed Question of facts and law होता है जिसको साक्ष्य के उपरान्त ही तय किया जा सकता है ।

14. दावा कृषि भूमि में हक घोषणा एवं विभाजन का है जिसका श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को है । यदि पारिवारिक समझौते एवं गोद जाने के बिन्दु वादी के पक्ष में तय नहीं होते हैं तो भी आराजी के विभाजन का दावा राजस्व न्यायालय में पेश किया जा सकता है एवं राजस्व न्यायालय को ही श्रवणाधिकार है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.10.2006 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 26.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 14.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा